खबर संक्षेप

करंट की चपेट में आने से बालक की मौत

शहडोल। जिले के झींक बिजुरी चौकी क्षेत्र के ग्राम खम्हरिया के सामुदायिक भवन की छत के ऊपर करंट लगने की वजह से एक 13 वर्षीय बालक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार देवशरण सिंह गोड घर के पास स्थित सामुदायिक भवन की छत में चढ़ गया। छत के ऊपर 11 हजार केवी विद्युत की तार थी, जिसे देवशरण ने छू लिया। परिणाम स्वरूप तेज धमाका के साथ आवाज आई और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि देवशरण सिंह गोड की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। जिसके कारण ही वह बिना किसी परिजन के सामुदायिक भवन की छत में चढ़ गया था और यह घटना घटित हो गई। ग्रामीणों की सूचना के आधार पर झींक बिजुरी चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पोस्टमार्टम करवाये जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। पुलिस विवेचना में जुट गई है।

नदी में डूबने से युवक की मौत

शहडोल। जिले के सोहागपुर थाना क्षेत्र के दियापीपर गांव में स्थित सोन नदी में 30 वर्षीय युवक अपने कुछ दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने रविवार की शाम सोन नदी पहुंचा , नहाते वक्त युवक गहरे पानी में चला गया, जिसमें वह डूब गया, मौजूद दोस्तों ने उसे गहरे पानी से बाहर निकला, जब तक उसकी मौत हो चुकी थी। खबर है कि सिंहपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला सूरज पिता ओमप्रकाश वर्मा अपने कुछ दोस्तों के साथ रविवार को दियापीपर में स्थित सोन नदी में पिकनिक मनाने गया हुआ था, इसी दौरान सूरज अपने अन्य दोस्तों के साथ नदी में नहाने के लिए उतरा तभी वह नहाते वक्त गहरे पानी में चला गया, सूरज के अन्य दोस्त तो नदी से बाहर निकल गए, लेकिन सूरज पानी में डूब गया जिसके बाद उसके दोस्तों ने देखा कि सूरज बाहर नहीं है, आनंन फानन में सभी लोग दोबारा पानी में कूदे और उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन जब तक काफी देर हो चुकी थी और युवक की मौत हो चुकी थी, दोस्तों ने उसे किसी तरीके से कड़ी मशक्कत के बाद गहरे पानी से बाहर निकाला और अपने निजी वाहन से लेकर जिला अस्पताल पहुंचे जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने सूरज को मृत्यु घोषित कर दिया है। अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले पर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है, पुलिस का कहना कि युवक निजी अस्पताल में काम करता था और अपने अस्पताल के मित्रों के साथ पिकनिक मनाने गया था, तभी यह हादसा हुआ है। सोमवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।

नर बाघ का मिला शव

उमरिया। जिला वन मंडल के पाली रेंज में एक बाघ की मौत होने की जानकारी सामने आई है। इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक बाघ के शव पर चोट के काफी निशान पाए गए हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बाघ के शव का सोमवार की सुबह पोस्टमॉर्टम किया जाएगा। ज्यादा शाम हो जाने के कारण रविवार को बाघ के शव का पोस्टमॉर्टम नहीं किया जा सका। हालांकि, मौके पर वन विभाग के अधिकारी और डॉग स्क्वाड भी पहुंच गया था। आस-पास के क्षेत्र का निरीक्षण भी अधिकारियों ने डॉग स्क्वॉड के साथ किया है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वन मंडल उमरिया के बिरसिंहपुर परिक्षेत्र के मंगठार बीट के कक्ष क्रमांक 555 में नर बाघ का शव पाया गया है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पहली नजर में यह घटना दो बाघों की आपस की लड़ाई का परिणाम नजर आ रही है। आस-पास दूसरे बाघ के पद चिन्ह भी पाए गए हैं। इतना ही नहीं आसपास लगे पेड़ों में भी दूसरे बाघ के पंजों के निशान देखने को मिल रहे हैं। वन विभाग के अधिकारियों की बातों से स्पष्ट होता है कि हमेशा की तरह इस बाघ की मौत भी आपसी संघर्ष में हुई है। बाघ की मौत की असली वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगी।

सुरक्षाकर्मी को नीट-नर्सिंग घोटाले का ज्ञापन देकर लौटी कांग्रेस

नीट-नर्सिंग घोटाले को लेकर प्रशासन का सुस्त रवैया

नीट और नर्सिंग घोटाले को लेकर कांग्रेस सोमवार को धरना प्रदर्शन करने के बाद ज्ञापन सौंपने जिला संयुक्त कार्यालय पहुंची, लेकिन जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और जिला प्रभारी नीरज सिंह बघेल के नेतृत्व में पहुंचे सैकड़ा भर कांग्रेसियों से ज्ञापन लेने के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा में तैनात महिला प्रधान आरक्षक को आगे किया गया। कांग्रेस ने इसका विरोध तो किया, लेकिन जब कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया तो, उसे ही ज्ञापन देकर कार्यक्रम की इतिश्री की गई।

शहडोल।

सोमवार को प्रदेश भर में कांग्रेस के द्वारा नीट और नर्सिंग घोटाले को लेकर धरना और प्रदर्शन के कार्यक्रम आयोजित किये गये, कार्यक्रम और इन मुद्दो को व्यापक रूप देने के लिए कांग्रेस ने सभी जिलों में प्रभारी तक नियुक्त किये थे, गांव और कस्बों से लेकर संसद तक गूंज रहे नीट के मामले को प्रशासन व उनके नौकरशाह कितने गंभीरता से ले रहे हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सोमवार को उस वक्त सामने आया जब पूर्व सूचना के बाद लगभग 1 घंटे तक शहडोल में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन आयोजि हुआ और बड़ी संख्या में कांग्रेसी जिला संयुक्त कार्यालय जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी के नेतृत्व में ज्ञापन देने पहुंचे, प्रशासन की ओर से कार्यालय में सुरक्षा के लिए तैनात महिला पुलिसकर्मी को आगे भेजकर कांग्रेसियों से ज्ञापन लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि सोमवार को समय-सीमा की बैठक जिला संयुक्त कार्यालय में आहूत थी और कलेक्टर से लेकर तमाम आलाधिकारी कार्यालय में ही मौजूद थे। कांग्रेसियों ने इस बात को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा के शासनकाल में नौकरशाह बेलगाम हो गये है और सरकार के इशारे पर इतने गंभीर मुद्दे को जानबूझकर नजर अंदाज किया जा रहा है।

कांग्रेस ने किया धरना-प्रदर्शन

जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष सुभाष गुप्ता के नेतृत्व व जिला प्रभारी नीरज सिंह बघेल के मुख्य आतिथ्य में नीट व नर्सिंग परीक्षा मे हुई भारी धांधली एवं जिले मे रेत व कोयला के अवैध उत्खनन, बेखौफ कबाड़ माफिया एवं नशे के निरंकुश हो रहे कारोबार के खिलाफ कॉंग्रेस द्वारा कलेक्ट्रेट के सामने धरना-प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंप कर हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ शीघ्र कार्यवाई करने की मांग की गई।

छात्रों के भविष्य से किया खिलवाड़

जिलाध्यक्ष सुभाष गुप्ता ने कहा कि मध्यप्रदेश में नर्सिंग कॉलेज की मान्यता संबंधी बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें अस्तित्वहीन नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता एवं नर्सिंग कॉलेज से संबंधित छात्र-छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ किए जाने की घटना विस्तृत रूप से उजागर हुई है, जिसमें मध्यप्रदेश के लाखों छात्र-छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उक्त नर्सिंग घोटाले में प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के कार्यकाल की घटनाएं उजागर हुई है, जिसके लिए मंत्री श्री सारंग सीधे-सीधे जिम्मेदार है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंत्री विश्वास सारंग आज भी अपने पद पर काबिज है।

आमजनता में रोष

नर्सिंग कॉलेज घोटाला छात्र-छात्राओं के भविष्य के अंधकारमय करने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव मोहम्मद सुलेमान, तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा आयुक्त निशांत बरबडे सहित कई अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों की संलिप्तता उजागर हो रही है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में छात्र-छात्राओं एवं उनके अभिभावकों सहित आम जनता में भारी रोष व्याप्त है। प्रदेश में हुए नर्सिंग घोटाले जैसे कलंक की सम्पूर्ण जांच कराकर कार्यवाही की जावे एवं जांच पूर्ण होने के पूर्ण प्रथम दृष्टा अपराध में संलिप्त प्रतीत हो रहे, प्रदेश के चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग, अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान एवं निशांत बरबडे को तत्काल निलंबित कर जांच कार्यवाही कराई जावे एवं मंत्री विश्वास सारंग को तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त किया जावे जो कि न्यायोचित होगा।

भाजपा को लिया आड़े हाथो

जिला प्रभारी नीरज सिंह बघेल, नगरपालिका अध्यक्ष, पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष कुलदीप निगम, पूर्व जिलाध्यक्ष नीरज द्विवेदी,वरिष्ठ कांग्रेसी महमूद अहमद, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष सौरभ तिवारी ने भी मंच के माध्यम से भ्रष्ट भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। धरना प्रदर्शन के उपरांत जब कॉंग्रेसजन ज्ञापन सौंपने के लिए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे तब पूर्व सूचना के बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी आधे घंटे इंतजार के बाद भी ज्ञापन लेने के लिए उपस्थित नहीं हुए, तब कॉंग्रेस जिलाध्यक्ष द्वारा वहाँ उपस्थित महिला पुलिस कर्मचारी को ज्ञापन देकर दिया गया, इसकी सूचना मिलने के उपरांत प्रशासनिक अधिकारी ज्ञापन लेने के लिए उपस्थित हुए।

नेतागिरी से मोहभंग के बाद फिर एपीओ बनने की कवायत

पहले मांगी कांग्रेस से टिकट, फिर किया प्रचार, फिर से बनेंगे एपीओ

शहडोल।

जैतपुर विधानसभा से बीते वर्ष कांग्रेस की टिकट मांगने वाले संविदा कर्मचारी एक बार फिर मेडिकल से लौटने के बाद जिले की सोहागपुर जनपद में एपीओ की कुर्सी के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं। के.पी. सिंह पूर्व में पड़ोस के उमरिया जिले की करकेली जनपद में एपीओ के पद पर पदस्थ थे, विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस की विचारधारा और हवा से प्रभावित होकर एपीओ ने अचानक कार्यालय जाना बंद कर दिया और कुछ दिनों बाद वे शहडोल से लेकर भोपाल तक कांग्रेस भवन और पार्टी के नेताओं के घरों पर नजर आने लगे। चुनावों में कांग्रेस की हवा क्या निकली, एपीओ कई माहों के लिए अंतध्र्यान हो गये। लगभग एक साल के बाद नेतागिरी का भूत उतरने के बाद तथाकथित संविदाकर्मी ने फिर शहडोल से लेकर भोपाल तक मनरेगा कार्यालय के चक्कर लगाने शुरू कर दिये, जुगाड़ में माहिर कांग्रेस नेता के.पी. सिंह की एपीओ के.पी.सिंह के पद पर पुनः वापसी के लिए कार्यालयों में हो रहे पत्राचार नजर आने लगे।

अगस्त 2023 में हुआ था तबादला

जिला पंचायत उमरिया के द्वारा करकेली जनपद में पदस्थ एपीओ के.पी.सिंह का स्थानांतरण अगस्त 2023 में शहडोल के लिए किया गया था, हालाकि स्थानांतरण का पत्र जारी होने से पहले ही के.पी.सिंह अपने कार्य स्थल से नदारद हो चुके थे, इस दौरान पहले वे जैतपुर विधानसभा से कांग्रेस की टिकट की दौड़ में नजर आये और पार्टी के नेताओं के साथ कांग्रेस भवन के चक्कर लगाते भी दिखे, टिकट नहीं मिली तो, उन्होंने वफादार कांग्रेस कार्यकर्ता का चोला पहनकर जैतपुर से कांग्रेस प्रत्याशी का प्रचार-प्रसार किया, पूरे विधानसभा क्षेत्र के साथ ही सोशल मीडिया में भी इनके बैनर-पोस्टर नजर आये, लेकिन कांग्रेस मिली करारी हार के बाद के.पी. सिंह, लोकसभा चुनाव के बाद ही सामने आये। लगभग 10 महीने तक के.पी. सिंह नदारद रहे।

शहडोल से लेकर भोपाल तक शिकायत

कांग्रेस कार्यकर्ता बनाम अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा बीते माह में जिला पंचायत शहडोल में पुनः अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए अनुपस्थिति की अवधि का मेडिकल सम्मलित किये जाने की खबर है, इस घटना के बाद भाजपा के तमाम नेता सक्रिय हो गये और उन्होंने शहडोल से लेकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से लेकर आयुक्त मनरेगा भोपाल तक इसकी शिकायतें की, इस मामले में 14 जून को मनरेगा के आयुक्त एस.कृष्ण चैतन्य ने शहडोल कलेक्टर को विभागीय पत्र प्रेषित करते हुए अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा (संविदा) की उपस्थिति एवं अनुबंध संपादन के संबंध में निर्देश देते हुए संविदा शर्तो के अनुसार कार्यवाही करने का पत्र भी प्रेषित किया है।

सोहागपुर एरिया से सेवानिवृत्त 88 कर्मचारियों को दी गई विदाई

धनपुरी। एसईसीएल के सोहागपुर एरिया अंतर्गत विभिन्न भूमिगत और खुली खदानों सहित कार्यालयों में बीते 30 से 40 वर्षो से अपनी सेवाएं दे रहे 88 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद सोमवार को उन्हें गेस्ट हाऊस में आयोजित गरिमामयी कार्यक्रम के दौरान विदाई दी गई। सोहागपुर से सेवानिवृत्त होने वाले 88 कर्मियों को मुख्यालय स्थित कार्यक्रम में उन्हें शाल, श्रीफल, पुष्पहार से सम्मानित कर समस्त भुगतान का चेक प्रदान कर भावभीनी विदाई दी गयी। इस अवसर पर महाप्रबंधक पी.कृष्णा ने अपने-अपने उद्बोधन में कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारी के योगदान, कार्यकौशल से ही कम्पनी सफलता के इस मुकाम पर पहुँची है। सेवानिवृत्त कर्मियों के योगदान को सदैव स्मरण किया जाएगा। इस दौरान इंटक के एरिया महामंत्री अमरजीत सिंह ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मियों ने अपने ज्ञान व अनुभव से सदैव कम्पनी को लाभान्वित किया तथा अपने कार्यस्थल में स्वस्थ्य एवं निष्पक्ष कार्यदशाएँ कायम कर आपसी सामंजस्य एवं सहयोग से कार्य सम्पादित किया। अंत में उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मियों के सपरिवार उज्जवल भविष्य की ईश्वर से कामना की। सेवानिवृत्त अधिकारियों-कर्मचारियों ने कम्पनी के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि एसईसीएल की उत्कृष्ट कार्य संस्कृति है, यहां के कर्मचारियों में कार्य के प्रति बहुत ही निष्ठा है। यहाँ अधिकारी-कर्मचारी कंधे से कंधा मिलाकर साथ में कार्य करते हैं।

लापरवाह खण्ड शिक्षा अधिकारियों की खबर लो, बसों की जांच करो

राजस्व व सीएम हेल्पलाइन की भी कलेक्टर ने की समीक्षा

शहडोल। सोमवार को हुई टीएल बैठक में कलेक्टर तरुण भटनागर के संज्ञान में यह बात आ गई कि अनुशासन व संस्कारों का ज्ञान देने वाला शिक्षा विभाग आज इतना अनुशासनहीन और बिगड़ैल हो चुका है कि उसके लिए कलेक्टर की बैठक भी खास मायने नहीं रखती। यह बात सामने आते ही कलेक्टर खासे नाराज हुए और जिला शिक्षा अधिकारी को कड़ाई बरतने हेतु जरूरी निर्देश दिए। उन्होने स्कूल बसों व यात्री बसों की जाचं पड़ताल के लिए एसडीएम को निर्देश दिए। साथ ही अन्य विभागों की समीक्षा कर आवश्यक मार्गदर्शन दिया। इसके अलावा उन्होने पौधरोपणी अभियान की चर्चा कर निर्देश दिए। एक पेड़ मां के नाम अभियान में समस्त विभाग दिए गए लक्ष्य के अनुसार पौधारोपण करना सुनिश्चित करेंगे। इस अभियान के कार्य को प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

खण्ड शिक्षा अधिकारी कहां हैं?- शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर तरूण भटनागर ने बैठक में खंड शिक्षा अधिकारियों की उपस्थिति नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की और इसे अनुशासनहीनता कहा। उन्होने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि आप बैठक में समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को उपस्थित होने के लिए ताकिद करें अन्यथा खंड शिक्षा अधिकारी के साथ-साथ आप पर भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे स्वयं एवं खंड शिक्षा अधिकारी शिक्षा विभाग में प्राप्त शिकायतों का निराकरण करने हेतु शिकायतकर्ता से बात करें एवं उन्हें अपने द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में बताएं एवं संतुष्टि पूर्वक शिकायत को बंद कराना सुनिश्चित करें।

सभी बसों की मॉनीटरिंग करें- बैठक में कलेक्टर ने समस्त अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह यातायात परिवहन विभाग द्वारा स्कूल, कॉलेज की बसों की फिटनेस जाँच की निगरानी करें. उन्होंने कहा है कि स्कूल कॉलेज की बसों की स्थिति, इंजन की स्थिति, ड्राइवर एवं क्लीनर की मेडिकल जांच, बसों की फिटनेस के दस्तावेज इत्यादि की अच्छी तरह से जांच हो यह सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने निर्देशित किया है कि सवारी बसों की भी जांच हो तथा निर्देशित करें की क्षमता से ज्यादा सवारी ना हो तथा सभी बसें निर्धारित समय में चले।

पटवारियों की हर हफ्ते बैठक लो- कलेक्टर तरुण भटनागर ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए समस्त राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह राजस्व विभाग के कार्य मे प्रगति लाएं। उन्होंने कहा है कि सीमांकन, बटांकन एवं नामांकन के कार्यों को प्राथमिकता के साथ करना सुनिश्चित करें। उन्होंने समस्त तहसीलदार को निर्देश दिए हैं कि वह प्रत्येक सप्ताह पटवारियों की बैठक ले एवं पटवारियों को प्रत्येक सप्ताह का लक्ष्य भी निर्धारित करें तथा समीक्षा की करें। उन्होंने कहा है कि निर्धारित लक्ष्य को पूरा न करने पर पटवारियों के पर कड़ी कार्यवाही करें अन्यथा आपके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

सीएम हेल्पलाइन भी संतोषप्रद नहीं- बैठक में कलेक्टर तरूण भटनागर ने सीएम हेल्पलाइन की भी समीक्षा की। सीएम हेल्पलाइन की स्थिति संतोषजनक नहीं होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के साथ निराकरण करने की कार्यवाही करें। उन्होंने कहा है कि आपके द्वारा शिकायतों का निराकरण न करने के कारण आपकी ग्रेडिंग नीचे रह जाती है।

थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने वाले के बयान का होगा वीडियो रिकॉर्ड: कमिश्नर

कमिश्नर एवं एडीजीपी ने शहडोल नगर में निकाला फ्लैग मार्च

शहडोल।

कमिश्नर बी.एस.जामोद एवं एडीजीपी शहडोल जोन डी.सी.सागर ने शहडोल नगर मे नगर वासियों को भारतीय दंड संहिता के नए बदलाव के बारे में जानकारी देने हेतु फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के दौरान कमिश्नर ने नगर वासियों को बताया कि भारत सरकार ने भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम इन नियमों में संशोधन कर नए प्रकार के कानून बनाए गए है जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि अब भारतीय दंड संहिता जो कि भारतीय न्याय संहिता कहलाएगी। सीआरपीसी, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहलाएगी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यह तीनों अधिनियम कल से नए स्वरूप में लागू हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो पुराने कानून थे वह अंग्रेजों के आधार पर बने थे। जो की हमारे देश के नागरिकों के हित में कम थे। उन्होंने बताया कि अब जो नए कानून बनाए गए हैं उनमें हमारे भारतीय नागरिकों के हित की दृष्टि से भारत सरकार ने पूरे मंथन के साथ संशोधन किया है। उन्होंने नागरिकों को उदाहरण देते हुए बताया कि जैसे पहले पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने जाते थे तो कई बार ऐसा होता था कि हमने बयान कुछ और दिया है और पुलिस ने कुछ और बयान लिखा है। लेकिन अब नए प्रावधानों में हम जो रिपोर्ट दर्ज करवाने जाएंगे तो उसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा और आपके बयान के अनुसार रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। कमिश्नर ने नगर वासियों को बताया कि कई बार ऐसा पाया जाता है कि आप रिपोर्ट दर्ज करने जाते हैं और उस रिपोर्ट की क्या कार्यवाही हुई, इसकी कुछ जानकारी ही नहीं मिलती थी। लेकिन अब नए प्रावधान के अनुसार आपको रिपोर्ट दर्ज करने के 90 दिन में पुलिस आपको आपके केस की जानकारी उपलब्ध कराएगी।

फ्लैग मार्च के दौरान कलेक्टर तरूण भटनागर ने भी नागरिकों को कानूनों में हुए नए बदलाव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने नागरिकों को बताया कि जो बदलाव हुए हैं वे आम नागरिकों के हित में और न्याय के हित में बदलाव किए गए है। उन्होने बताया कि ऑनलाईन के माध्यम से पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं, जिसकी नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। उन्होनें बताया कि जो न्यायालयों में केस चलते हैं उन प्रकरणों का भी समय सीमा में निराकरण करने का प्रावधान है। फ्लैग मार्च के दौरान डीआईजी सविता सोहाने, सहित पुलिस बल भी साथ रहे।

पंडित एस एन शुक्ला विश्वविद्यालय में दीक्षारंभ समारोह का आयोजन

शहडोल। 1 जुलाई 2024 सत्र के लिए नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए अभिप्रेरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, यह कार्यक्रम तीन दिवसीय कार्यक्रम के रूप में संचालित होगा। कार्यक्रम के प्रारंभ में कुलगुरु प्रो.रामशंकर ने नव प्रवेशित विद्यार्थियों का पुष्प गुच्छ भेंट कर एवं तिलक लगाकर विश्वविद्यालय परिवार में आत्मीय अभिनंदन किया और दीक्षारम्भ कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ.मनीषा ने कहा की आप सभी का विश्वविद्यालय के ज्ञान केंद्र में स्वागत है और दीक्षारम्भ कार्यक्रम की परिकल्पना और उसके उद्धेश्य पर प्रकाश डाला। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. रामशंकर ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा विश्वविद्यालय में आप सभी का स्वागत है, आज से आप विश्वविद्यालय के छात्र है और ज्ञान के इस मंदिर का प्रयोग कर अपने भविष्य को चहुमुखी विकास की ओर ले जा पाएंगे और नवीन शिक्षा नीति का उपयोग कर नई शिक्षा को जीवन मे उतारते हुए सम्पन्न और विकसित भारत की संकल्पना में अपना योग दान दे पाएंगे।

खबर संक्षेप

माह के प्रथम दिन वंदेमातरम का किया गया गायन

उमरिया। जुलाई के प्रथम दिन कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन की उपस्थिति में कलेक्टर परिसर में संगीतमय वंदे मातरम, मध्य प्रदेश गान एवं जन गण मन का गायन किया गया, तत्पश्चात शासकीय काम काज की शुरूआत की गई। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह, अपर कलेक्टार शिव गोविंद सिंह मरकाम, एसडीएम बांधवगढ रीता डेहरिया, एसडीएम पाली टी आर नाग, डिप्टी कलेक्टर मीनाक्षी इंगले सहित अन्य जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे ।

समय सीमा की बैठक संपन्न

उमरिया। साप्ताहिक बैठक कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन की अध्यक्षता में संपन्न हुई, बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन की कोई भी शिकायते अन अटेण्डेंट नही रहे अन्यथा संबंधित एल-1 अधिकारी तथा जिला प्रमुख अधिकारी के विरूध्द कार्यवाही की जायेगी । आपने कहा कि समय सीमा के पत्रों का संबंधित अधिकारी समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित कराएं। आगामी सप्ताह में सभी समय सीमा के पत्रों का निराकरण अनिवार्य रूप से कर लिया जाए । विभागवार अन अटेंण्डेंट शिकायतों की समीक्षा की जाएगी ।

अमानक उर्वरक का जिले में क्रय-विक्रय, परिवहन पर रोक

उमरिया। उप संचालक कृषि खेलावन डेहरिया ने बताया कि एमपी एग्रो उमरिया इंडियन फार्मस फर्टिलाइजर कार्पोरेटिव लिमिटेड पो. पारादीन जगतसिंहपुर ओडिषा का उर्वरक विष्लेषण पश्चात अमानक स्तर का पाया गया हैं। उर्वरक को जिले मे क्रय विक्रय एवं परिवहन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

7 जुलाई को निकलेगी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा

कोतमा। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ की कहावत को चरितार्थ करते हुए पंचायती मंदिर से 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जावेगी। रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही है आयोजन समिति के अनुसार इस वर्ष भी जगन्नाथ रथ यात्रा शाम को 4 बजे पंचायती मंदिर से से रथ यात्रा निकाली जावेगी। यह रथ यात्रा नगर में भ्रमण करने के पश्चात पंचायती मंदिर में संपन्न होगी। रथ में भगवान जगन्नाथ के साथ भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी विराजमान रहेगी। इस रथ को खींचने के लिए भक्तों में होड़ लगी रहती है। आयोजन समिति ने सभी श्रद्धालु भक्तों से इस रथ यात्रा में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की है।

पत्थरों की लैब टेस्टिंग हो व कार्यपालन यंत्री से जांच कराएं

सड़क का हुआ घटिया निर्माण, दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा रहे

उमरिया

करकेली जनपद अंतर्गत स्थित ग्रामपंचायत उजान में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामले की जांच तो हुई लेकिन भ्रष्टाचार के जिन विन्दुओं पर बल दिया गया था उनकी जांच बेनतीजा ही रही। जांच दल ने उसकी जांच कार्यपालन अभियंता से कराए जाने का आग्रह किया है। जांच में एक विन्दु ऐसा भी था जिसके दस्तावेज मांगे जा रहे थे लेकिन सरपंच और सचिव वह दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके। इससे सरपंच व सचिव संदेह के घेरे में आ गए हैं। इस तरह एक बार फिर यह मामला अधर में लटक गया है और सरपंच तथा सचिव को कुछ राहत मिल गई है। ग्रामीणों के अनुसार उजान पंचायत में केवल भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है, यदि निर्माण कार्यों की गहराई से जांच पड़ताल कराई जाए तो सारा मामला उजागर हो जाएगा।

जांच प्रतिवेदन

पत्थरों की क्वलिटी का पता नहीं

जांच प्रतिवेदन में कहा गया है कि लगभग 10 कार्यों का अवलोकन किया गया। इनमें से कुछ चेकडेम भी थे। जितने चेकडेम देखे गए उनमें किसी में भी पानी नहीं पाया गया। संभवतः इनमें वर्षा का जल संग्रहित होता है। इनके निर्माण के संबंध में आरोप यह था कि इनकी पिचिंग में घुलनशील पत्थर लगवाए गए हैं। जिसके कारण जलभराव के समय यह घुल जाएंगे। जांच में कहा गया कि इन कार्य स्थलों पर लगे बोल्डर पत्थरों की जांच लैब टेस्ट से कराई जाए और पत्थर घुलनशील है या नहीं इसकी जांच कार्यपालन यंत्री से कराई जाए। स्टापडेम में 5 किमी की दूरी से पत्थर इक_ कर लगाए गए हैं।

दस्तावेज नहीं कराया उपलब्ध

नियमतः मनरेगा पोर्टल पर पंजीकृत वेण्डरों का ही देयक मान्य किया जाता है। लेकिन ग्रामपंचायत द्वारा खरीदी के मामले में स्वास्तिक स्टोन क्रेशर का बिल लगाया गया है। इस संबंध में जांच दल ने ग्रामपंचायत के सरपंच व सचिव से ब्यौरे की जानकारी चाही। सामग्री क्रय किए जाने के पूर्व भण्डार क्रय नियमों के तहत की गई कार्रवाई का विवरण मागा गया जो कि प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे सरपंच व सचिव संदेह के दायरे में आ गए हैं। पंचायत में पंजीकृत वेण्डर कौन है यह भी पता लगाना कठिन काम है यहां सरपंच सचिव का ही राज चलता है।

उखड़ गई सीसी रोड

पंचायत में एक सीसी रोड का काम कराया गया है। जो कि छः माह में ही उखड़ गई। जांच में यह पाया गया कि सडक़ निर्माण में सही तरीके से क्यूरिंग नहीं कराए जाने से सडक़ की ऊपरी सतह की गिट्टियां उखड़ गईं हैं। आरोप था कि बिना रेत व सीमेंट के केवल गिट्टियां बिछा दी गई हैं। सडक़ में भ्रष्टाचार हुआ यह उजागर हो गया। कुछ समय बाद सडक़ पूरी तरह नष्ट हो जाएगी और लाखों रुपए जो इसके निर्माण में व्यय हुए वे सब बेकार हो जाएंगे। इसी तरह का निर्माण पंचायत की कुछ अन्य सडक़ों का भी कराया गया है और फर्जी वेण्डरों के बिल लगाए गए हैं।

गुणवत्ता नहीं देख रहे सीईओ

जांच दल ने 10 निर्माण कार्यों का अवलोकन किया है। जिनमें तालाब जीर्णोद्धार, चेकडेम, डब्लूएचटी, अमृत सरोवर तालाब, लघु तालाब आदि शामिल हैं। इनमें अधिकांश के बजट राशि का मूल्यांकन किया जाकर कार्य को भौतिक दृष्टि से पूर्ण बताया गया है साथ ही यह लेख किया गया है कि इनमें पूर्णता प्रमाण पत्र जारी है। लेकिन अधिकांश कार्य कम से कम दो वर्षों में पूर्ण हो पाए और लागत की तुलना में इनमे गुणवत्ता नहीं है। लगभग सभी का घटिया निर्माण कराया गया है। यह दायित्व सीईओ का है कि वे समय समय पर मौका मुआयना कर उसकी गुणवत्ता का जायजा लें। यह सभी कार्य कई लाख के हैं, इनमें सीईओ की भूमिका संदेह के घेरे में है।

जिला सहकारी विकास समिति की बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में संपन्न

अधिरोपित राशि की वसूली कर पद से पृथक करने के दिए निर्देश

उमरिया। जिला सहकारी विकास समिति की बैठक कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन की अध्यक्षता में संपन्न हुई । बैठक में प्राथमिक शाखा सहकारी समितियों, दुग्ध सहकारी समितियो, मत्स्य सहकारी नवीन समितियों का गठन करने , एक उचित मूल्य की दुकान पर एक विक्रेता की व्यवस्था करने, जिन दुकानों में विक्रेता उपलब्ध नही है, उसकी सूची सीईओ जिला पंचायत को भेजकर स्वा सहायता समूहों से प्रस्ताव मंगाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि एसडीएम बांधवगढ़ द्वारा 14 उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न कम पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विरूद्ध वसूली के आदेश जारी किए गए है। जिन विक्रेताओ के विरूद्ध यह आदेश पारित किए गए है, उनसे वसूली कर पद से पृथक करने की कार्यवाही सहायक आयुक्त सहकारी समिति सुनिश्चित करें। बैठक में सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह, अपर कलेक्टर शिव गोविंद सिंह मरकाम, एसडीएम बांधवगढ रीता डेहरिया, एसडीएम पाली टी आर नाग, डिप्टी कलेक्टर मीनाक्षी इंगले सहित अन्य जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।

विकास के लिए तैयार किया जा रहा है वीजन डाक्यूमेंट्स

उमरिया। जिले के समग्र विकास को गति प्रदान करने हेतु शासन के विभिन्न विभागों व्दारा संचालित योजनाएं, अब तक की उपलब्धियों , आगामी 1 वर्ष की उपलब्धियों तथा आगामी पांच वर्ष की आवश्यकताओं तथा उनसे प्राप्त होने वाले लाभों को समाहित कर कलेक्टर धरणेन्द्रा कुमार जैन के मार्गदर्शन में वीजन डाक्यूमेंट्स तैयार किया जा रहा है। इस डाक्यूमेंट्स में अधोसंरचना विकास, कृषि, उद्यानिकी, वानिकी , पशु पालन, दुग्ध उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उद्योग धंधों की स्थापना, स्थानीय संसाधनों का उपयोग आदि को समाहित किया जाएगा। अपर कलेक्टर शिवगोविंद सिंह मरकाम ने बताया कि मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र प्रारंभ हो चुका है । विधानसभा व्दारा विभिन्न विभागों से संबंधित विधानसभा प्रश्न प्रेषित किए जा रहे है। संबंधित अधिकारी समय सीमा का ध्यान रखते हुए इन प्रश्नों का उत्तर कलेक्टर कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें । बैठक में सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह, एसडीएम बांधवगढ़ रीता डेहरिया, एसडीएम पाली टी.आर.नाग, डिप्टी कलेक्टर मीनाक्षी इंगले सहित अन्य जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेंस में दीक्षारंभ का हुआ शुभारंभ

उमरिया। जिला मुख्यालय के महाविद्यालय में तीन दिवसीय दीक्षारंभ का शुभारंभ कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने किया । इस अवसर पर महाविद्यालय में नव प्रवेषित वद्यार्थियो को उच्च षिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न पाठयक्रमो, योजनाओ, संभावित आयामो, अनुषासन, समग्र कार्यक्रम का संचालन, मार्गदर्षक समूह, सामूहिक चर्चा, विभिन्न शाखाओं, , स्थानीय प्रबंधनो, समग्र षिक्षा तथा जीवन के लिए व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में प्रषिक्षित किया गया।

इस अवसर पर ज्ञानेंद्र सिंह गहरवार, प्राचार्य डा सीबी सोदिया, अमित सिंह, देवानंद स्वामी, डॉ.एम.एन.स्वामी, मनीष सिंह बघेल, अनुज सेन, महाविद्यालय के एलुमिनी के सदस्य, जन भागीदारी समिति के पदाधिकारी, महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं स्टाफ, नव प्रवेषित छात्र छात्राएं उपस्थित रहें। कार्यक्रम का संचालन प्रो. संजीव शर्मा ने किया। कार्यक्रम का समापन पौधरोपण के साथ किया गया।

उमंग के सत्र किये जाएं आयोजित : कलेक्टर

उमरिया। कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की जिला स्तरीय कन्वर्जेन्स, आयुष्मान भारत उमंग स्कूल हेल्थ एंड वेयरनेस कार्यक्रम की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि संस्था दर्शिना महिला कल्याण समिति छतरपुर के व्दारा दिशा निर्देशानुसार मानव संसाधन की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य को संपादित करें । उमंग स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ परामर्श दाता के व्दारा स्कूल , छात्रावास, महाविद्यालय का भ्रमण आउटरीच गतिविधि के तहत करना सुनिश्चित करें । ग्राम स्तर पर आशा व्दाारा साथियां का चयन समुदाय आधारित करने के लिए सभी बीसीएम को निर्देशित किया तथा स्वर्ण श्रेणी के ग्राम के संबंध में राज्य शासन से दिए गए निर्देशानुसार मापदंडों को योजना बनाकर पूर्ण करनें ब्लाक प्रोग्राम मैनेजर को निर्देशित किया गया है । उमंग स्वास्थ्य केंद्र में परामर्शदाताओ द्वारा गुणवत्तापूर्ण परामर्श सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए गए तथा उमंग टोल फ्री नंबर 14425 का विमोचित किया गया एवं किशोर किशोरियो से उमंग हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अन्य विभागों का सहयोग लेकर कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु गैर सरकारी संस्था दर्शिना महिला कल्याोण समिति को निर्देशित किया गया ।

कलेक्टर ने कहा कि आयुष्मान भारत उमंग स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक हाई स्कूल, हायर सेकेण्डेरी स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षकों व्दारा आरोग्य दूत माध्यम से उमंग के सत्र आयोजित किये जाए जिसका रिकार्ड एवं फोटो संधारित करें ताकि निरीक्षण के समय अवलोकन किया जा सके । प्रत्येक कक्षा मे हेल्थ एवं वेलनेस मैसेंजर को बनाया जाए जिससे कि सत्र के समस्त विषयों की जानकारी अन्य छात्र छात्राओ को आवश्यकतानुसार वेलनेस मैंसेजर के माध्यम से मिल सके । उन्होने कहा कि जिले की समस्त महाविद्यालयो में उमंग स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम समिति बनाकर आयोजित किए जाए । बैठक में सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह, अपर कलेक्टर शिव गोविंद सिंह मरकाम, एसडीएम बांधवगढ रीता डेहरिया, एसडीएम पाली टी आर नाग, डिप्टी कलेक्टर मीनाक्षी इंगले सहित , जिला शिक्षा अधिकारी एम एस गौर, उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग राजीव गुप्ता, जिला एपीडिपोलाजिस्ट अनिल सिंह, जिला किशोर स्वास्थ्य समन्वयक बुद्धराम रहंगडाले, बीसीएम, बीपीएम, महाविद्यालय के प्राचार्य, प्रतिनिधि , जिला प्रशिक्षक उमंग स्कूल हेल्थ वेलनेस कार्यक्रम से नीलम दुबे, केपी सिंह, वसीम अहमद अंसारी, दीनदयाल , मुकेश कुमार जाटवार, शैलेन्द्रकुमार कन्नौजिया , दर्शिना महिला कल्यामण समिति छतरपुर के कोषाध्यक्ष राजेश गुप्ता, परामर्शदाता, तथा जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे ।

संशोधित नए कानून को लागू करने व जानकारी के संबंध में दी गई जानकारी

थाना भालूमाडा में कार्यक्रम का हुआ आयोजन

भालूमाड़ा। सरकार द्वारा संशोधित नया कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होने पर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा नए आपराधिक कानून 2023 के क्रियान्वयन एवं आमजनों को जानकारी प्रदान करने के लिए अनूपपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर थाना भालूमाडा बंकिम बिहार में कार्यक्रम का आयोजन कर नए संशोधित कानून के लागू करने एवं बदलाव के विषय में जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर कार्यक्रम में प्रसाद नगर पालिका अध्यक्ष राम अवध सिंह, विधायक प्रतिनिधि उदय प्रताप सिंह, भाजपा मंडल पसान के अध्यक्ष अजय द्विवेदी, नगर पालिका पाषाण के उप यंत्री अविनाश मरकाम सहित थाना प्रभारी राकेश उइके, एस.आई अनुराग अवस्थी सहित कार्यक्रम में नगर के पार्षद, नागरिक पत्रकार बंधू, समाजसेवी, महिलाएं एवं युवक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के शुभारंभ में थाना प्रभारी के द्वारा नवीन आपराधिक कानून 2023 के संबंध में बताया गया कि यह कानून 1 जुलाई से लागू किया गया है और इस कानून में जो नए बदलाव किए गए हैं उनमें भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में परिवर्तन के साथ कुछ नई बातों का समावेश कानून में किया गया है जो 1 जुलाई से देश भर में लागू हो चुका है। नए कानून के बदलाव एवं उसमे हुए संशोधन की जानकारी अधिक से अधिक आमजनों को हो इसके लिए सरकार द्वारा सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से भी जानकारी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। नए कानून के बदलाव से हम लोगों को इसका लाभ मिलेगा। थाना प्रभारी द्वारा नए धाराओं, गंभीर अपराध, एक्सीडेंट के मामले ट्रायल के मामले में सूक्ष्म रूप से जानकारी प्रदान किये। एसआई अनुराग अवस्थी ने भी कानून के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि यह कानून पराधीन भारत में अंग्रेजों के द्वारा 1860 एवं 1872 में कानून बनाया गया था जो अभी तक देश में चल रहा था। नए कानून के संशोधन के बाद इसमें काफी बदलाव किए गए हैं जहां पर मानव जीवन से संबंधित घटनाओं अपराधों के क्रम को ऊपर किया गया है वहीं महिलाओं बच्चों से संबंधित अपराधों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है पहले कुल 511 धारा थी इनमें से अब कुल 358 धाराएं हैं। सीआरपीसी में धाराएं बढ़ाई गई हैं अनेक अपराधों पर पहले कोई धारा नहीं थी जिनका समावेश नए कानून में किया गया है। कार्यक्रम में उपस्थित पसान नगर पालिका अध्यक्ष राम अवध सिंह ने नए कानून के विषय में जानकारी देते हुए केंद्र सरकार देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि अथक प्रयासों के बाद केंद्र सरकार द्वारा यह कानून में बदलाव किया गया है जिससे आम जनता को इसका लाभ मिलेगा। नए कानून के विषय में नगर पालिका उपाध्यक्ष अजय यादव, मंडल अध्यक्ष अजय द्विवेदी ने भी जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि इस विषय की अधिक से अधिक जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए और कानून में हुए बदलाव की संपूर्ण जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है जिससे लोगों को विधिवत जानकारी प्रदान हो सकती है। कार्यक्रम में उपस्थित समाजसेवी सुरेश शर्मा ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि यह कानून आमजन के हित में है और इस कानून के बदलाव की मांग काफी समय से की जा रही थी यह कानून अंग्रेजो के समय बना था और उसके बाद देश आजाद हुआ और आजादी के 75 साल बाद भी अंग्रेजों की इस कानून का पालन हर देशवासी करता रहा जिससे कहीं ना कहीं पराधीनता का आभास हर देशवासी को होता रहा केंद्र सरकार के द्वारा नए कानून में बदलाव कर अच्छा निर्णय लिया है अब जरूरत इस बात की है कि नए कानून की जानकारी अधिक से अधिक आमजनों तक हो ग्रामीण अंचलों में हो जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उन तक नए कानून की जानकारी देने की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है।

नए कानून की जानकारी के लिए अमरकंटक में कार्यशाला आयोजित

अमरकंटक। भारत सरकार के निर्देशानुसार आगामी 1 जुलाई से नवीन आपराधिक कानून 2023 लागू हो रहे है, जिसके सफल क्रियान्वयन हेतु पुलिस के समस्त अधिकारी/कर्मचारी भी पूरी तरह से प्रशिक्षित हुये है तथा आमजन भी इस संबंध में जागरूक रहे इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपपुर नें आम जनता में भी इसका प्रचार प्रसार करने हेतु कार्यवाही के दिशा-निर्देश दिये गये है। उक्त निदेर्शों के अनुक्रम में पुलिस मुख्यालय भोपाल के निदेर्शानुसार ऑफलाइन एवं ऑनलाइन नए आपराधिक कानून-2023 की प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है साथ ही आम नागरिकों के बीच जाकर भी नए कानून के विभिन्न प्रावधान व सुविधाओं के बारें में प्रचार प्रसार किये जाने की योजना तैयार कर अमल में लाया जा रहा है।भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाये गए है। इसमें महिलाओं व बच्चों से संबंधित अपराधों में पीड़तिों की समस्याओं को केंद्र में रखकर, अपराधियों के लिए और कड़ी सजा आदि पर ध्यान दिया गया है। कही पर भी घटना होने पर परिस्थिति वश कही पर भी एफआईआर की सुविधा तथा ई-एफआईआर का भी प्रावधान है। नये कानून में डिजिटल साक्ष्य, फोरेंसिक साक्ष्यों के महत्व को बढ़ाया गया है एवं हर चीज की समय सीमा को निर्धारित किया गया है कि, कितने समय में विवेचना पूर्ण करके चार्ट शीट पेश करना है और केस की अपडेट पीड़ति को समय सीमा में दी जाएगी। गवाह व पीड़ति आदि के बयान की वीडियो ग्राफी व बयान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेने की भी प्रक्रिया है। पुलिस टीम ने उन्हें नए व पुराने कानूनों के तुल्नात्मक चार्ट और प्रावधानों को पीपीटी व पोस्टर आदि के माध्यम से समझाने हेतु तैयार किये गये है। साथ ही

आमजन का भी नए कानून में हुये बदलाव व प्रक्रिया का ज्ञान हो इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस सभी थानो मे भारतीय न्याय संहिता एंव भारतीय दण्ड संहिता के विशेष विन्दुओ के तुलनात्मक विवरण के पोस्टर लगाये गये ताकि थाने पर आने वाले किसी भी फरियादी एंव आमजन को नवीन अपराधिक कानून के प्रावधान के बारे में जानकारी रहे और उन्हें वे किसी भी प्रकार से भ्रमित न रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पुष्पराजगढ़ एसडीओपी नवीन तिवारी व विशिष्ट अतिथि में स्वामी धमार्नंद स्वामी सुंदरानंद व थाना प्रभारी कली राम परतें व अमरकंटक के विशिष्ट अतिथि व नागरिक व्यापारी उपस्थित रहे।

खबर संक्षेप

प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय में नवागत प्राचार्या प्रोफेसर संगीता मसी ने पदभार संभाला

बुढार। प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय में नवागत प्राचार्या प्रोफेसर संगीता मसी ने मंगलवार एक जूलाई को अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। महाविद्यालय में इसके पूर्व प्रोफेसर श्रीमती आशा अग्रवाल प्राचार्या के रूप में पदस्थ रही जिनका 30 जून को सेवानिवृत्ति होने पर शंभू नाथ विश्व विद्यालय शहडोल से स्थांतरित होकर आईं प्रोफेसर संगीता मसी को महाविद्यालय की कमान सौंपी गई है। प्रोफेसर श्रीमती आशा अग्रवाल ने अपना प्रभार प्रोफेसर संगीता मसी को मंगलवार को सौंप दिया है जिन्होंने अपना पदभार संभाला लिया है। श्रीमती संगीता मसी बीते 28 जून को महाविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर ज्वाइन किया था,जिनका पुष्प गुच्छ भेंट कर महाविद्यालय परिवार ने स्वागत किया है।

पत्थर खदान के लिए जन सुनवाई 23 जुलाई को

रीवा। मऊगंज जिले के हनुमना तहसील के ग्राम बीरादेई में 1.091 हेक्टेयर जमीन में पत्थर उत्खनन के लिए आवेदन दिया गया है। इसमें कुल 12 खसरा नम्बर शामिल हैं। खदान की मंजूरी के पूर्व इसकी पर्यावरणीय जन सनुवाई के लिए 23 जुलाई 2024 की तिथि निर्धारित की गई है। कलेक्टर मऊगंज के प्रतिनिधि के रूप में अपर कलेक्टर अशोक ओहरी ग्राम पंचायत भवन परिसर बीरादेई में 23 जुलाई को सुबह 10.30 बजे से सुनवाई करेंगे। सुनवाई में क्षेत्रीय अधिकारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा तथा खदान के लिए आवेदन करने वाली मेसर्स शिवकृपा एसोसिएट के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

रिटर्निंग अधिकारी एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त

रीवा। मध्यप्रदेश राज्य सहाकरी निर्वाचन अधिकारी एमबी ओझा ने सहकारी समितियों के संचालक मंडल के निर्वाचन हेतु सदस्यता सूची को अंतिम रूप देने के लिये रिटर्निंग अधिकारी एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किये हैं। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या. देवरा के लिये सहकारी निरीक्षक विकास माठे तथा बहुउद्देशीय कृषि साख सहकारी समिति मर्या. बिछरहटा के लिये सहकारी निरीक्षक अनिल कुमार गुप्ता को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बनाया गया है। जबकि प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार रीवा के संचालक मंडल के निर्वाचन हेतु सहकारी निरीक्षक मनीष जैन एवं दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति बरहा मुड़वार के लिये उप अंकेक्षक बी.एल. कनौजी को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है।

विधि महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने केन्द्रीय जेल का किया शैक्षणिक भ्रमण

रीवा। विधि महाविद्यालय रीवा के छात्र-छात्राओं को अपराधों के संबंध में जानकारी देने के उद्देश्य से केन्द्रीय जेल का भ्रमण कराया गया। विधि महाविद्यालय के विद्यार्थियों को जेल में होने वाली गतिविधियों की जानकारी एवं कार्यवाही के विषय में अवगत कराया गया। इस दौरान छात्र-छात्राओं ने जेल में विभिन्न अपराधों में सजा काट रहे बंदियों से दिनचर्या के विषय में जानकारी ली। उल्लेखनीय है कि जेल में बंदियों के लिए उनके सुधार के कार्यक्रम चलाये जा रहे है। जिससे वह सामाजिक जीवन में लौटने के बाद अपना रोजगार स्थापित कर सके।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री राकेश मोहन प्रधान के निर्देशन में छात्र-छात्राओं ने शैक्षणिक भ्रमण पश्चात केन्द्रीय जेल के गौशाला परिसर में वृहद वृक्षारोपण किया।

नवीन अपराधिक कानून से जन-जन को अवगत कराने बुढार थाना द्वारा जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया

संकट के समय सदैव पुलिस आपके साथ रही और सदैव रहेगी : संजय जायसवाल

बुढार। सोमवार को थाना के द्वारा नवीन अपराधिक कानून क्रियान्वयन जागरुकता अभियान को जन-जन तक पहुंचायें जाने के पुनीत उद्देश्य से 1 जूलाई को कालेज तिराहे पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।देश में अंग्रेजों के जमाने से चलीं आ रही भारतीय दंड संहिता के स्थान पर अब एक जूलाई से लागू किये गये भारतीय न्याय संहिता से नागरिक अवगत हो सकें जागरुकता कार्यक्रम मुख्य रहा।नवीन अपराधिक जागरुकता कार्यक्रम में सहायक लोक अभियोजन अधिकारी के एस ठाकुर पूर्व डीपीसी मदन त्रिपाठी,नपा अध्यक्ष श्रीमती शालिनी सरावगी, अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष रावेंद्र तिवारी, जिला अभियोजन अधिकारी अशोक सिसोदिया, आलोक राय, अधिवक्ता रीना पत्रिक तथा शासकीय महाविद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक राधेश्याम नापित के आतिथ्य में आयोजित किया गया।टीआई संजय जायसवाल ने नवीन अपराधिक कानून जागरूकता अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कानून में पहले दंड का प्रावधान था अब इसमें न्याय मिलेगा जिसे देश में एक जूलाई से प्रभावशाली कर दिया गया है जो पीड़ित जनों के लिए अति हितकारी है। श्री जायसवाल ने कहा कि अंग्रेजों के समय से लागू कानून दमन क़ारी रहा जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा

संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को प्रतिस्थापित किया गया है और पूर्व की धाराओं को भी परिवर्तित किया गया है, जिससे सभी के साथ एक समान व्यवहार हो सकें और सुगमता से न्याय मिल सके जिससे सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। थाना प्रभारी संजय कुमार जायसवाल ने यह भी कहा कि संकट के समय पुलिस आपके साथ है, और पुलिस का सदैव साथ रहेगा। जागरुकता कार्यक्रम के अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता पुष्पेन्द्र ताम्रकार ,दौलत मनमानी, आशीष नामदेव,दीपक शर्मा, श्रीमती अनामिका सिंह, नीलेश जैन, नीरज शुक्ला, राकेश मिश्रा की उपस्थिति रही।नगर परिषद अध्यक्षा श्रीमती शालिनी सरावगी ने कहा कि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दंड की जगह न्याय का विधान देश में लागू कराकर एक नया अध्याय भारतीय न्याय संहिता का जनमानस के समक्ष प्रस्तुत किया है जो प्रशंसनीय व स्वागत योग्य है।सहायक लोक अभियोजन अधिकारी के एस ठाकुर ने कार्यक्रम में उपस्थित जनों को एक जूलाई से लागू किये गये नये अपराधिक कानून के धाराओं तथा माननीय न्यायालय में सहायक लोक अभियोजन के प्रदत दायित्व एवं अधिकारों के संदर्भ में विस्तृत रूप से अवगत कराया।

इस अवसर पर नये कानून पर महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं के प्रश्नों का उत्तर भी थाना प्रभारी ने सहज भाव से दिया तथा उनकी शंकाओं का समाधान कराया। प्रधान आरक्षक भागवत प्रताप धुर्वे ने कार्यक्रम का संचालन किया एवं राष्ट्रगान से कार्यक्रम का समापन किया गया।

छात्र-छात्राओं, अनुशासन में रहकर शिक्षा ग्रहण करें, संगीता मसीह

बुढ़ार। सोमवार को मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेंस शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नव प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु अभिप्रेरणा कार्यक्रम व दीक्षांरभ समारोह का आयोजन 1 जूलाई को महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ संगीता मसीह की उपस्थिति में आरम्भ किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाविद्यालय जन भागीदारी के अध्यक्ष निलेश जैन रहे, दीक्षांरभ समारोह 1 जुलाई 2024 से तीन दिवसीय मनाया जाना है।

नव प्रवेशित छात्र-छात्राओं को उत्कृष्ट नेहरू महाविद्यालय में दीक्षांरभ कराया गया

कार्यक्रम का उद्देश्य

कार्यक्रम का उद्देश्य नए विद्यार्थियों को नए परिवेश में सहज महसूस करने उनमें संस्थान की विशिष्ट प्रकृति और संस्कृति को सिखाने और उनके व्यापक उद्देश्य से परिचित कराना एवं दीक्षांरभ कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ संगीता मसीह द्वारा मां सरस्वती के प्रतिमा में माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की इसके तत्पश्चात बच्चों को तिलक लगा करके उन्हें महाविद्यालय में प्रवेश दिया गया । कार्यक्रम के प्रथम दिन प्राचार्या का स्वागत भाषण हुआ ।जिसमें उन्होंने महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को महाविद्यालय से संबंधित जानकारी दी और कहा कि छात्र-छात्राएं नियमित रूप से अपनी कक्षाओं में समय पर उपस्थित रहे उन्हें अनुशासन में रहना चाहिए । साथी जो प्रवेशित छात्राओं को शुभकामनाएं दी। महाविद्यालय जन भागीदारी के अध्यक्ष और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निलेश जैन ने छात्र-छात्राओं को प्रेरणा स्वरूप अपने वक्तव्य में कहा कि अब हमारा महाविद्यालय पीएम एक्सीलेंस हो गया है समय पर छात्र छात्राएं उपस्थित होकर पढ़ाई करें और अपना अपने परिवार का महाविद्यालय का नाम और गौरव बढ़ाएं। महाविद्यालय में विभिन्न संकाय और कर्मचारियों का परिचय सत्र हुआ जिसमें सभी शिक्षकों के द्वारा अपने विषय के बारे में छात्राओं को बताया। महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ अनिल उपाध्याय एवं मनोज कुजूर ने राष्ट्र नई शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में प्रकाश डाला और विस्तार पूर्वक छात्राओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में समझ बनाई। उसके पश्चात वरिष्ठ छात्रों द्वारा नव आगंतुक छात्र छात्राओं के साथ संवाद किया गया ।

संवाद में एक दूसरों के अनुभव साझा किए गए। कार्यक्रम में महाविद्यालय की वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर गंगा मिश्रा, डॉ नागमणि मानिकपुरी, डॉ अनिल उपाध्याय, डॉ स्वालकिन खान, डॉक्टर मनोज कुजूर डॉ शिव मूरत प्रजापति ,डॉ राधेश्याम नापित डॉ अनूप सेन ,डॉ दिनेश वर्मा, कमलेश प्रजापति, जयशंकर सिंह, दीपक पटेल, श्रीमती दीपा सिंह डॉक्टर ममता द्विवेदी श्रीमती रानी पटेल एवं समस्या शैक्षणिक एवं असर्णिक स्टाफ उपस्थित रहे कार्यक्रम का सफल संचालन डॉ राधेश्याम नापित ने किया।

अमलाई थाना क्षेत्र में बढ़ रहा अपराध का ग्राफ

अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने नागरिकों ने की मांग

धनपुरी। अमलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध कार्यों के चलते अपराधिक गतिविधियों का ग्राफ घटने की बजाय बढ़ता जा रहा हैं। अमलाई थाना क्षेत्र में अवैध कार्य से जुड़े अपराधियों पर कानूनी नकेल कसने की बजाय ढीले पड़ती जा रही हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे धनपुरी कोलांचल में आए दिन कोयला चोरी कबाड़ चोरी जुआ गाजा, नशीली दवाइयां कारोबारियों पर किसी का भय डर ना होने के चलते अपराध ग्राफ बढ़ता जा रहा रहा है।अमलाई थाना क्षेत्र में न सिर्फ जुआ, कोयला चोरी और कबाड़ का अवैध कारोबार सुर्खियों में है बल्कि कोयला जैसा बहुमूल्य खनिज भी चोरी और कालाबाजारी की भेंट चढ़ रहा है। अमलाई थाना क्षेत्र के कबाड़ियों पर ना तो पुलिस का कोई जोर है और न ही यहां किसी प्रकार की कानून व्यवस्था नजर आती है। कोयला कबाड़ के अवैध कारोबारी डंके की चोट पर अपना अवैध कारोबार चला रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक की भूमिका निभाती नजर आ रही है।जानकार सूत्रों की माने तो पूरे अमलाई क्षेत्र में कई बड़े छोटे कबाड़ी सक्रिय हैं इनकी अपनी ही सल्तनत चल रही है। कोई राज नामक कबाड़ी तो पूरी फौजी बनाकर रखा है। राजा जैसे और भी कई कबाड़ी हैं जो कबाड़ का कारोबार करते हैं। इसके अलावा कई जाने पहचाने चेहरे ऐसे हैं जो क्षेत्र में जुआ, घोड़ी, आदि के माध्यम से तो कुछ चेहरे नशे की सामग्री की सप्लाई के जरिए कोयलांचल विशेष कर अमलाई थाना क्षेत्र के युवाओं को बर्बादी की ओर धकेल रहे हैं।अमलाई थाना क्षेत्र व सोहागपुर एरिया के जनता जनार्दन द्वारा मांग की जा रही है कि बढ़ते अबैध कार्यो को नियंत्रित करने संबंधी अभियान और पुलिस कप्तान के निर्देशों का सख्ती से पालन हो जिससे बढते ग्राफ को समाप्त किया जाए।

आरसी क्लब में आयोजित समारोह में दी गई बिदाई

श्रमिक नेता महेन्द्र सिंह सेवानिवृत्त

धनपुरी। कोयला मजदूर पंचायत (एच एम एस) के सोहागपुर एरिया के महासचिव, महेंद्र सिंह पवार,30,जून 2024को सेवानिवृत्त हुए, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मानसमारोह , सोहागपुर एरिया के आर सी क्लव में किया गया, कार्यक्रम में सोहागपुर एरिया के मुख्य महाप्रबंधक पी श्रीकृष्णा,,ए पी एम सोहागपुर सहित अन्य अधिकारी व सोहागपुर एरिया के सभी यूनियनों के पदाधिकारियों के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिवार जन भी उपस्थित रहे।

फोरमैन के पद से सेवानिवृत्त महेंद्र सिंह पवार,1983, में एस ई सी एल सोहागपुर एरिया में जनरल मजदूर के रुप में भर्ती हुए। कालरी में कार्य करते हुए शासकीय महाविद्यालय बुढार से बीए, एमए, और एलएलबी की शिक्षा प्राप्त कर सहायक फोरमैन के पद पर 40/वर्ष 6माह

29/दिन का कार्यकाल पूरा कर 30 जून 2024, शारदा ओपन कास्ट माइन से सेवानिवृत्त हुए। महेंद्र सिंह ने लेवर यूनियन बीएमएस से श्रम संगठन की राजनीति प्रारम्भ किया था। किन्हीं कारणों से उन्होंने बी एम एस यूनियन वर्ष 1998 में छोड़ दिया आप उस समय बी एम एस यूनियन में कार्यकारी अध्यक्ष सोहागपुर हुआ करते थे। फिर विनय सिंह (केन्द्रीय सचिव,एच एम एस यूनियन) के साथ मिल कर जे एम एस यूनियन जो बाद में, कोयला मजदूर पंचायत बनी , इस यूनियन में महेंद्र सिंह पवार, सोहागपुर एरिया के महासचिव पद पर हैं। 30 जून 2024 को सोहागपुर एरिया से 88/कर्मचारियों का सम्मान समारोह सेवानिवृत्त के साथ किया गया।

पाली वन परिक्षेत्र मंगठार के कक्ष क्रमांक 555 में आपसी संघर्ष में 5 वर्षीय नर बाघ की हुई मौत

पीएम के बाद बाघ के शव का हुआ अंतिम

उमरिया- उमरिया जिले के वन परिक्षेत्र पाली के बीट कक्ष क्रमांक 555 मंगठार में एक नर बाघ की मृत्यु की घटना सामने आई हैं जिसको लेकर पाली वन परिक्षेत्र एसडीओ दिगेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि एक ग्रामीण चरवाहे के माध्यम से एक नर बाघ के मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी जिसके तुरन्त बाद मौके पर वन विभाग की टीम घटना स्थल पर पहुँची और शव को अपने कब्जे में लिया एवम शहडोल वन विभाग के अधिकारियों डॉग स्क्वायड के मदद से 1 किलोमीटर के रेंज में अवैध शिकार के साक्ष्यो की सघन जांच की गई इस दौरान अवैध शिकार से सम्बंधित किसी प्रकार की कोई सामाग्री साक्ष्य नही पाई गई इसके उपरांत अन्य जांच में पता चला कि जमीन में खरोच के निशान पेड़ो में बाघ के बाल एवम बाघ के शरीर में दाये पैर में दूसरे बाघ के नाखून के निसान जब कि शरीर के अन्य जगहों में इंजरी पाई गयी। जिससे प्रथम दृष्टया यह पता चला है कि आपसी संघर्ष से इस 5 वर्षीय नर बाघ की मौत हुई हैं । पीएम के बाद नर बाघ का बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया है ।

राष्ट्रीय बजरंग दल ने आजाद चौक में किया छेत्र का सबसे बड़ा ध्वजवंदन निकाली शौर्य यात्रा

धनपुरी । गत दिनों की भांति राष्ट्रीय बजरंग दल जिला शहडोल मेहुल श्रीवास्तव के नेतृत्व में धर्म प्रचार प्रसार के लक्ष्य को लेकर समाज में कार्य कर रहा है उसी के दौरान अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के 6 वां स्थापना दिवस एवं हिंदू साम्राज्य दिवस के उपलक्ष में राष्ट्रीय बजरंग दल ने इतिहासिक कार्य किया है संपूर्ण छेत्र में सबसे बड़ा भगवा ध्वज आजाद चौक धनपुरी में फहराया गया हैं जिसका लोकार्पण मेहुल श्रीवास्तव जी द्वारा किया गया और मुख्य अतिथि के रूप में अनिरुद्ध प्रताप सिंह उपस्थित थे । कार्यक्रम शाम 4 बजे राधा कृष्ण मंदिर में प्रारंभ हुआ पहले समस्त कार्यकर्ताओ के साथ बैठक की गई जिसमे मुख्य वक्ता मेहुल श्रीवास्तव जी द्वारा धर्म विरोधियों के ऊपर निशाना साधा गया और धर्म रक्षा के लिए कार्यकर्ता को अग्रसर होने का आदेश दिया उसी प्रलाणी में अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने भी धर्म रक्षा के विषय के ऊपर

कार्यकर्ताओ को संबोधित किया । उसके पश्चात शौर्य यात्रा निकाली गई जिसमे राष्ट्रीय बजरंग दल के बुढार अध्यक्ष लखन मुदानी , बनगवार अध्यक्ष शिवम गौतम (कुंदन),ऋषि सिंह ,हर्षराज मौर्य, अनंत कचेर, सागर , हनी गुप्ता, आकाश दास , अमित पासवान , हर्ष वर्धन सिंह, अनुभव मिश्र , प्रीतम बर्मन, सुमित चतुर्वेदी, विशाल आहूजा , नवीन चेलानी , साहिल सेवानी , संजय जेठानी , काली आसवानी, कुणाल खटीक , रवि रैकवार , आकाश वर्मन, नरेंद्र, सरैकपा अध्यक्ष अनुराग मिश्रा , टीम लालपुर एवं सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित हुए शौर्य यात्रा आजाद चौक धनपुरी पहुंच कर कार्यकर्ताओ द्वारा इस्तिहासिक धवजवंदन्न किया गया और हनुमान चालीसा का पाठ एवं प्रसाद वितरण कर कार्यक्रम को संपन्न किया गया । राष्ट्रीय बजरंग दल लगातार हिंदू सुरक्षा , हिंदू समृद्धि के ऊपर देश भर में काम कर रहा है और आई बी की रिपोर्ट के अनुसार अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल देश का सबसे बड़ा और सक्रिय हिंदू संगठन बन चुका है। उसी के साथ मेहुल श्रीवास्तव भाईसाहब भी अनिरुद्ध प्रताप सिंह एवम अपनी पूरी टीम के साथ धर्म रक्षा के कार्य में सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे है।

देश में लागू हो रहे नए कानून न्याय की दृढ़ भावना के प्रतीकः दिलीप पांडे

उमरिया। 1 जुलाई का दिन पूरे देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून बदलकर नए कानून लागू किये जा रहे हैं।हमारी सरकार द्वारा गुलामी की मानसिकता वाले पुराने कानूनों को हटाकर, भारतीयता के भाव को प्रदर्शित करने वाले तीन नए कानून 'भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम' को लागू किया जा रहा है, जिनके मूल में सजा देने की बजाय न्याय की दृढ़ भावना है।आज से काफी कुछ बदलने जा रहा है. खासकर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आज से 1860 में बनी **IPC** की जगह भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी **CRPC** की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ले लेगी। इन तीनों नए कानूनों के लागू होने के बाद कई सारे नियम-कायदे बदल जाएंगे. इनमें कई नई धाराएं शामिल की गई हैं तो कुछ धाराओ में बदलाव हुआ है, कुछ हटाई गई हैं नए कानून लागू होने पर आम आदमी, पुलिस, वकील और अदालतों के कामकाज में काफी बदलाव होगा। जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे जी ने कहा कि लागू हो रहे कानून ब्रिटिश काल के आपराधिक कानूनों की जगह लेने जा रहे है। बीते कार्यकाल में तीनो कानून लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुके थे। इस कानून के तहत देश विरोधी गतिविधियों में शामिल गद्दारों के खिलाफ, बेहद सख्त प्रावधान किया गया हैं। इस नए कानूनों के अनुसार, "न्यायाधीश को सात दिनों में और अधिकतम 120 दिनों में ही सुनवाई करनी होगी। फर्जी पहचानपत्र का इस्तेमाल करके महिलाओं को फंसाना, इस नए आपराधिक कानूनों के तहत बहुत बड़ा अपराध है।यह वास्तव में मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है, क्यों कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया था और उसी दौर के कानूनों को यानी अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून भारतीय दंड संहिता का पालन कर रहा है। यह हमारे लिए शर्म की बात है। सही मायने में अब हम स्वतंत्र होंगे और मोदी युग में इतिहास रचा जा रहा है। पुराने कानून में बदलाव करना बहुत जरूरी थी। लागू हो रहे कानून अपराध रोकथाम और अपराधी के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पुराने कानून अप्रसांगिक हो चुके थे अपराधी अपराध के नए नए तरीके अपनाकर अपराध कर रहे थे और कानून में उनका उल्लेख न होने से अपराध करने के बाद भी वह बच जाते थे। नए कानून में ऐसी महत्वपूर्ण प्रावधानों को समाहित किया गया है जिससे अपराधी किसी भी कीमत में बच न सके वा निर्दोष सुरक्षित रहे।अंग्रेजो के जमाने से चले आ रहे कानूनो में वह दम नही था जो भारत को अपराध मुक्त कर सके। अपराध में लगाम लगाया जा सके। अपराधियो को कड़ी सजा दिया जा सके। क्यों कि अपराधी भी किसी घटना को ऐसे अंजाम देते थे ताकि वह कानून की गिरफ्त में न आये। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यकाल राष्ट्र के हितार्थ वरदान साबित हो रहा है। राष्ट्र हितैषी जन हितैषी योजनाओ से भारत सज संवर रहा है वही नवीन कानून लागू होने से अपराधियो की कमर टूटेगी वा अपराध में लगाम लगेगा। नए कानून सज्जनशक्ति को पोषण देगे कोई भी निर्दोष फसेगा नही और दुर्जन शक्तियों पर शिकंजा कसा जाएगा और अपराधियों को कड़ी सजा मिलेगी। टेक्नोलॉजी के इस दौर में नए कानून बेहद महत्वपूर्ण है। अपराध के किसी भी तरीको पर कारगर चोट करने में नए कानून सक्षम है। नए कानून लागू होने से पहले विवेचक का विवेक ही महत्वपूर्ण माना जाता था भले भी विवेचना ठीक तरीके से न हुई हो। अर्थात जांच कर्ता पुलिस अधिकारी को जो सही लगा वह

कानून में हो रहे संशोधन देश की न्याय व्यवस्था को मजबूत कर आम जनता को राहत पहुंचाएंगेः दिलीप पांडे

लिखता था अब विवेचक के विवेक के साथ विवेचना के आधुनिक तरीको का उपयोग किया जाएगा टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा घटना स्थल की वीडियोग्राफी की जाएगी बयानों की वीडियोग्राफी की जाएगी। किसी भी निर्दोष को फसाया नही जा सकेगा वा अपराधी को बचाया भी नही जा सकेगे कोर्ट एक निर्धारित समय सीमा के भीतर आरोप तय कर सुनवाई करेगी। भाजपा जिला अध्यक्ष श्री दिलीप पाण्डेय जी ने कहा कि तीनों पुराने कानून गुलामी की निशानियों से भरे हुए थे,गुलामी की इन निशानियों को समाप्त कर हम नए कानून लेकर आए हैं। कानून में दस्तावेज़ों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स, ई-मेल, सर्वर, कम्प्यूटर, स्मार्ट फोन, लैपटॉप्स, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल, मैसेजेस को कानूनी वैधता दी गई है। **FIR** से केस डायरी, केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज़ करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है।भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों में कड़ी सजा का प्रावधान है। भारत की संप्रभुता या अखंडता को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। वहीं, मॉब लिंचिंग और नाबालिग से दुष्कर्म में शामिल लोगों को अधिकतम मौत की सजा दी जा सकती है। हत्या के जुर्म के लिए सजा-ए-मौत या आजीवन कारावास की सजा होगी। दुष्कर्म में शामिल लोगों को कम से कम 10 साल की जेल या आजीवन कारावास की सजा होगी और सामूहिक दुष्कर्म के लिए कम से कम 20 साल की कैद या उस व्यक्ति के शेष जीवन के लिए कारावास की सजा होगी।नया कानून लागू होने के बाद नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में जीरो एफआईआर दर्ज करा सकेंगे, चाहे उनका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो। जीरो एफआईआर को क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन को अपराध पंजीकरण के बाद 15 दिनों के भीतर भेजा जाना अनिवार्य होगा।जिरह अपील सहित पूरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की जाएगी।यौन अपराधों के पीड़ितों के बयान दर्ज करते समय वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी।सभी प्रकार के सामूहिक बलात्कार के लिए सजा 20 साल या आजीवन कारावास की होगी। एफआईआर के 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से चार्जशीट दाखिल की जाएगी। न्यायालय ऐसे समय को 90 दिनों के लिए और बढ़ा सकता है, जिससे जांच को समाप्त करने की कुल अधिकतम अवधि 180 दिन हो जाएगी।आरोप पत्र प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर अदालतों को आरोप तय करने का काम पूरा करना होगा।सुनवाई के समापन के बाद 30 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से फैसला सुनाया जाएगा।फैसला सुनाए जाने के सात दिन के भीतर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा।तलाशी और जब्ती के दौरानवीडियोग्राफी अनिवार्य होगी।सात साल से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक टीमों को अनिवार्य रूप से अपराध स्थलों का दौरा करना होगा।जिला स्तर पर मोबाइल एफएसएल की तैनाती होगी।सात साल या उससे अधिक की सजा वाला कोई भी मामला पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा।संगठित अपराधों के लिए अलग, कठोर सजा का प्रावधान है। साथ ही चेन / मोबाइल स्नैचिंग और इसी तरह की शरारती गतिविधियों के लिए अलग प्रावधान हैबच्चों के खिलाफ अपराध के लिए सजा को सात साल से बढ़ाकर 10 साल करने का विधान है।मृत्युदंड की सजा को कम करके अधिकतम आजीवन कारावास में बदला जा सकता है, आजीवन कारावास की सजा को कम करके अधिकतम सात साल के कारावास में बदला जा सकता है किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए जब्त किए गए वाहनों की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। साथ धाराओं में भी परिवर्तन किया गया है।

जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जन संख्या नियंत्रण उमरिया स्नेह लता शर्मा अध्यक्ष तो संयोजक रिंकी कोल हुई कि हुई नियुक्ति

उमरिया। जिले की भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय महिला कार्यकर्ता स्नेह लता की कार्यकुशलता को देखते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जो की जन संख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने के लिए 10 वर्षों से लगातार प्रयासरात है, इस संस्था के राष्ट्रीय संरक्षक इंद्रेश कुमार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री कृष्ण मुरारी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग वंदना त्यागी, राष्ट्रीय संयोजक ममता सहगल, प्रदेश संयोजक अलंकार जैन अधिवक्ता, महिला विंग प्रदेश अध्यक्ष हेमांगी अरोरा अधिवक्ता, द्वारा मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में महिला विंग की जिला अध्यक्ष व संयोजकों की नियुक्ति किए जाने पर सभी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। दिनांक 27/06/2024 को मध्यप्रदेश के सभी जिलों की कार्यकारिणी का गठन किया गया, उमरिया जिले की जिला-अध्यक्ष के रूप में स्नेह लता शर्मा तथा संयोजक के रूप में रिकी कोल को नियुक्त किया गया। 11 जुलाई को अन्तराष्ट्रिय जनसंख्या दिवस के अवसर पर पूरे देश में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के करोड़ों कार्यकर्ता प्रति वर्ष ज्ञापन सौंप कर जन जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग करते आ रहे हैं। इस वर्ष हमारे जिले में भी 11 जुलाई को कलेक्टर महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति व प्रधान मंत्री जी को भेजा जाएगा, इसकी तैयारी के लिए पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है, अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जा रहा है।इनकी इस नियुक्ति पर भाजपा सहित समस्त जिले वाशियों ने बधाई प्रेषित की है

सरस्वती उच्च. माध्यमिक विद्यालय बिरसिंहपुर पाली में सेवा निवृत्ति अभिनंदन समारोह का आयोजन

बिरसिहपुर पाली: पाली नगर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत श्रीमती मीना गौतम दीदी जी 30 जून को सेवा निवृत्त हुई उनका विदाई समारोह 1 जुलाई को संस्था में आयोजित किया गया जिसमें उन्होंने अपने शिक्षकीय कार्यकाल के अनुभव बताते हुए भावुक हो गईं कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष श्री रमाशंकर शिवहरे जी पूर्व व्यवस्थापक श्री रमेश नसरानी जी सह व्यवस्थापक श्री रघुनाथ गुप्ता जी एवं आचार्य परिवार के साथ मीना गौतम दीदी जी के परिवार के सदस्य भी उपस्थित रहे कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ आचार्य श्री रवींद्र विश्वकर्मा ने किया।

नीट और नर्सिंग घोटाले के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल

विरोध प्रदर्शन कर कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री से मांगा इस्तीफा

राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

जिला कांग्रेस ने 1 जुलाई को मध्यप्रदेश में नर्सिंग घोटाले के विरोध में इंदिरा तिराहे पर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रमेश सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम तहसीलदार अनुपम पांण्डेय को ज्ञापन सौंप कर नीट परीक्षा 2024 एवं मध्य प्रदेश में हुए नर्सिंग कॉलेज घोटाले में छात्र छात्राओ को न्याय दिलाने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाई किए जाने की मांग की।

अनूपपुर।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घोटाले के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नर्सिंग घोटाले की निष्पक्ष जांच और जांच के पहले ही स्वास्थ्य मंत्री अपना इस्तीफा देने की मांग की। धरना प्रदर्शन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया था।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का त्याग पत्र देने की मांग

कांग्रेस जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ने बताया कि राष्ट्रपति को दिये ज्ञापन में कहा गया कि नीट यूजी 2024 की परीक्षा के परिणाम आने के उपरांत पूरे भारत में भाजपा शासित केंद्र सरकार के काल में बिन छात्र-छात्राओं ने जिनकी संख्या लगभग 23 लाख है जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करके पेपर लीक कराते हुए भारी भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है वो किसी जघन्य अपराध से कम नहीं है। कई राज्यों में यह गोरख धंधा बिना सत्ता के आसीन लोगों के सहयोग से संभव नहीं हो सकता है एनटीए की भी भूमिका इस पूरे घोटाले में शामिल होने के भी प्रकरण दृष्टिगत हो रहा है। कैसे लगभग 1565 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया उन्हें मेरिट में लाया गया है और जो छात्र वर्षों से मेहनत करके इस परीक्षा में बैठे थे पेपर लीक कर के अपने चहेतों को करोड़ो रुपए की वसूली कर ईमानदारी से परीक्षा देने वाले बच्चों के उज्जवल भविष्य की हत्या की गई है जो किसी भी स्थिति पर बख्शा नहीं जाना चाहिए, सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। केंद्र सरकार में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के पर्यवेक्षण में एनटीए द्वारा परीक्षा आयोजित करती है। इससे छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की हत्या हुई है। जिस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र देने की मांग करते हुए इस भ्रष्टाचार में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाने मांग की। ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो सके।

चिकित्सा मंत्री की बर्खास्तगी व अपर मुख्य सचिव के निलंबन की मांग

राज्यपाल के नाम दिये ज्ञापन में कांग्रेस ने कहा कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज की मान्यता संबंधी बड़ा घोटाला हुआ है अस्तित्वहीन नर्सिंग कॉलेज की मान्यता एवं नर्सिंग कॉलेज से संबंधित छात्र-छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ किए जाने की विस्तृत रूप से उजागर हुई है। जिसके लिए मंत्री सारंग सीधे-सीधे जिम्मेदार हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंत्री विश्वास सारंग आज भी अपने पद पर काबिज है। नर्सिंग कॉलेज घोटाला छात्र-छात्राओं के भविष्य के अंधकार में करने के लिए चिकित्सा भी शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव मोहम्मद सुलेमान, तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा आयुक्त निशांत बरबड़े सहित कई अन्य अधिकारियों कर्मचारियों की संलिप्तता उजागर हो रही है ऐसी स्थिति में प्रदेश में छात्र-छात्राओं एवं उनके अभिभावकों सहित आम जनता में भारी रोष व्याप्त है। नर्सिंग घोटाले जैसे कलंक की संपूर्ण जांच कराकर कार्यवाई कर जांच पूर्ण होने के पूर्व प्रथम दृष्टा अपराध में संलिप्त मानते हुए चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग को तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त किये जाने एवं अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान, निशांत बरबड़े को तत्काल निलंबित कर जांच कार्यवाही कराई जाये।

1 से 15 जुलाई तक चलाया जाएगा जागरूकता अभियान

गुड सेमेरिटन योजना के तहत नेक व्यक्तियों को किया जायेगा पुरस्कृत

नूपपुर।

पुलिस मुख्यालय पीटीआरआई भोपाल द्वारा प्राप्त निर्देश एवं पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह पवांर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इसरार मन्सूरी एवं एसडीओपी सुमित केरकेट्टा के आदेश अनुसार यातायात प्रभारी अनूपपुर ज्योति दुबे एवं स्टाफ डीव्हीएम पब्लिक स्कूल अनूपपुर, एवं बस स्टैंड में गुड सेमेरिटन योजना के विषय में बच्चों एवं आमजन के बीच कार्यक्रम आयोजित कर योजना के विषय में बताया गया कि, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 3 अक्टूबर 2021 से संचालित यह योजना जिसके तहत ऐसे नेक व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाता है, जिसने सड़क दुर्घटना में घायल किसी व्यक्ति को 'गोल्डन आवर' में अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाकर उसका जीवन बचाया हो, पुरस्कार स्वरूप नेक व्यक्ति (गुड सेमेरिटन) को 5000 की राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है।

योजना का उद्देश्य

सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता होती है, जो समय पर उपलब्ध न होने पर ऐसे व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या, व्यक्ति स्थाई रूप से अपंग हो जाता है सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य यह योजना लागू की गई है। जिसका उद्देश्य आमजन को घायल व्यक्तियों की सहायता करने के लि ए

प्रोत्साहित कर दुर्घटना के गोल्डन आवर में पीड़ति व्यक्ति को चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना है। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति, जिसके सिर या रीड की हड्डी में चोट आयी हो, 3 दिन से अधिक अस्पताल में भर्ती रहा हो, ऐसे व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को नेक व्यक्ति योजना के अंतर्गत पात्र माना जाएगा।

गुड सेमेरिटन चयनित करने की प्रक्रिया

यदि नेक व्यक्ति द्वारा सड़क दुर्घटना एवं घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने की सूचना पहले पुलिस/स्थानीय थाने को दी है, तो पुलिस द्वारा ऐसे नेकव्यक्ति की जानकारी एक निर्धारित प्रारूप में नाम, मोबाइल नंबर, घटना का स्थान, तारीख, समय तथा कैसे पीड़ति व्यक्ति की जान बचाई गई है आदि बिंदुओं पर जानकारी नोट की जाएगी। दूसरी स्थिति में अस्पताल प्रबंधन भी नेक व्यक्ति की उक्त बिंदुओं पर जानकारी नोट कर पुलिस को दे सकता है। पुलिस थाना द्वारा ऐसे नेक व्यक्ति को पुरुस्कृत करने हेतु जानकारी थाना यातायात भेजी जाएगी। यातायात थाना द्वारा प्रस्ताव तैयार कर जिला मूल्यांकन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षा और अनुमोदन उपरांत प्रस्ताव पुरस्कार राशि भुगतान हेतु परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग के पास भेजा जाएगा। जहां से पुरस्कार राशि 5000 संबंधित गुड सेमेरिटन व्यक्ति के बैंक अकाउंट में स्थानांतरित कर दी जाती है।

पात्रों को प्राथमिकता के आधार पर तीन माह में एसईसीएल मुहैया कराए रोजगार

अनूपपुर। मध्यप्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल ने कहा कि आज के समय में रोजगार लोगों की जरूरत है, लोगों की भूमि अधिग्रहण के बदले पात्रता के अनुसार रोजगार मुहैया कराया जाना काश्तकारों के जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव में कैंप लगाकर एसईसीएल के लंबित रोजगार प्रकरणों का निराकरण किया जाए। राज्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राष्ट्रहित में पुश्तैनी भूमि जिन्होंने दिया है उन्हें प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध कराया जाए। यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर अधिकारी सुनिश्चित करें।

मध्यप्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल आज एसईसीएल के भालूमाड़ा रेस्ट हाऊस में एसईसीएल प्रबंधन एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। बैठक में कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री को अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत आमाडांड में 702 हेक्टेयर भूमि 2004-05 में एमपीएलआरसी के तहत तथा कोल बेरिंग (सीबी) एक्ट के तहत 574 काष्तकारों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है। एमपीएलआरसी के तहत भूमि के एवज में 870 रोजगार देने थे परंतु 610 लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया तथा 260 लोग शेष बचे हैं। इसी तरह सीबी एक्ट के तहत 557 काश्तकारों को रोजगार दिया जाना है, जिसके संबंध में सभी आवश्यक प्रक्रिया तीन माह में पूर्ण कर पात्र किसानों को रोजगार एवं मुआवजा प्रदान करने के संबंध में कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री दिलीप जायसवाल ने कालरी प्रबंधन के अधिकारियों को निर्देश दिए। एसईसीएल के अधिकारियों ने बैठक में अवगत कराया कि एमपीएलआरसी के तहत 54 लोगों के रोजगार के प्रकरण प्रक्रिया में है तथा 96 लोगों की भूमि दूसरे के नाम पर होने पर कोर्ट में विचाराधीन है। बैठक में बताया गया कि सात रोजगार के प्रकरण अनूपपुर जिले के बाहर के निवासियों का है, जिन्हें रोजगार देना है तथा जिसके संबंध में डीआरसी में प्रस्ताव रखा जाएगा।

एसईसीएल प्रबंधन के अधिकारियों ने बताया कि 46 लोगों की भूमि में पारिवारिक सहमति नहीं होने के कारण रोजगार के प्रकरण लंबित है। जिस पर राज्य मंत्री ने कहा कि लंबित सभी काश?तकारों के प्रकरणों का तीन माह के अन्दर निराकरण कर भूमि स्वामियों को रोजगार मुहैया कराया जाए।

लेन्टाना जंगल का फायदा उठाकर हुल्ला पार्टी को चकमा दे रहे दो हाथी

विगत रात बांका में तोडी दीवार, गोबरी के जंगल पहुंचे दोनों हाथी

अनूपपुर।

जिले के अनूपपुर एवं जैतहरी वन परिक्षेत्र एवं थाना अंतर्गत ग्रामों में दो हाथियों का समूह विगत 18 दिनों से निरंतर विचरण कर रहा है जिससे परेशान ग्रामीणों की मांग पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग द्वारा पश्चिम बंगाल से हाथियों को जिले से भगाए जाने हेतु 14 सदस्यीय हुल्ला पार्टी को बुलाया है जो रविवार के दिन से दोनों हाथियों को विभिन्न माध्यमों से भागने का प्रयास कर रहे हैं किंतु दोनों हाथी गोबरी एवं बांका के जंगल के मध्य तेजी से बढ़े लेन्टाना का फायदा उठाते हुए भागते-भागते गुम जाते हैं जो हुल्ला पार्टी को निरंतर चकमा दे रहे हैं रविवार की देर रात दोनों हाथी ठेंगरहा गांव में एक महिला के कच्चे घर की दीवाल दूसरी बार तोड़कर धान खाने के बाद भगाए जाने पर विजय सिंह की बाड़ी के पास से कुदुरझोरी नाला पार कर अनूपपुर वन परिक्षेत्र एवं थाना के दुधमनिया बीट अंतर्गत बांका गांव में जंगल के किनारे बसे एक ग्रामीण के घर की दीवार को तोड़कर घर के अंदर रखे अनाज एवं बाड़ी में लगे कटहल के फल को अपना आहार बनाया इसके बाद से सोमवार की सुबह तक यह दोनों हाथी बांका एवं दुआहीटोला, राजामचान के जंगल से फिर से कुदुरझोरी नाला पार कर ठेंगा रहा गांव के किनारे से होते हुए बड़वार नाला एवं कुदुरझोरी नाला के बीच के जंगल में लेन्टाना में आकर छिप गए जिन्हें भगाए जाने पर दोनों हाथी हुल्ला पार्टी को पूरे दिन लुका-छुपी कर चकमा दे रहे हैं। इस ऑपरेशन के दौरान वन मंडलाधिकारी अनूपपुर सुश्री श्रद्धा पेन्दे जिले की विभिन्न वन परिक्षेत्र के वन परिक्षेत्र अधिकारी, परि. सहायको, वनरक्षकों, सुरक्षा श्रमिकों, हाथी मित्र दल के सदस्यों के साथ लगे हुए हैं। सोमवार की देर शाम एवं रात तक दोनों हाथियों को इस बड़े जंगल से बाहर किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

सड़क हेतु जमीन सर्वे में पात्र किसानों के मुआवजा प्रकरण तैयार करें : कलेक्टर

समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश

अनूपपुर।

कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने बायपास रोड अनूपपुर कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुआवजा प्रकरण तैयार करें तथा जिनकी भूमि बायपास हेतु अधिग्रहित की गई है उन्हें समय पर मुआवजा राशि का भुगतान कराएं। कलेक्टर ने अस्पताल, होटल एवं अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान में फायर सेफ्टी में जुमार्ना के संबंध में अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि समय-समय पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर जांच की जाए तथा शासन के दिए हुए गाइड लाइन व पैरामीटर अनुसार फायर सेफ्टी नियम का पालन कराएं। कलेक्टर आशीष वशिष्ठ आज कलेक्टर कार्यालय के नर्मदा सभागार में आयोजित समयावधि पत्रों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में अपर कलेक्टर अमन वैष्णव, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तन्मय वशिष्ठ शर्मा, संयुक्त कलेक्टर दिलीप पाण्डेय, एसडीएम कोतमा अजीत तिर्की, एसडीएम जैतहरी श्रीमती अंजली द्विवेदी, एसडीएम पुष्पराजगढ सुधाकर सिंह बघेल एवं विभागों के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर ने जिले में कराए जा रहे पौधरोपण की जानकारी उद्यान विभाग के अधिकारियों से प्राप्त की। इस दौरान कलेक्टर ने जनपदवार वाटर शेड प्लानिंग की जानकारी ली तथा वन विभाग से पौधरोपण संबंधित कैलेंडर के अनुसार पौधारोपण कराने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि अनूपपुर जिले के नगर पालिका क्षेत्र में 15 हजार तथा नगर परिषद

क्षेत्र में 10 हजार पौधों का रोपण करना है। इस हेतु उन्होंने गड्ढे, फेसिंग तथा पानी की पर्याप्त उपलब्धता के भी निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने जिले के अन्य स्थानों में प्लांटेशन की जानकारी कलेक्टर कार्यालय में देने के भी निर्देश दिए। बैठक में जनजातीय कार्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने एकलव्य आवासीय विद्यालय अनूपपुर के हॉस्टल और बाउंड्री वॉल में होने वाले पौधारोपण के संबंध में अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की तथा उन्होंने कहा कि एक पौधा मां के नाम "लोगो" का फ्लेक्स बनवाकर सभी विभाग पौधारोपण करने हेतु आगे आए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 15 जुलाई को समीक्षा की जाएगी। बैठक में कलेक्टर ने बैंक प्रकरणों की समीक्षा करते हुए एलडीएम को निर्देशित किया कि बैंक प्रकरणों की गहन समीक्षा करें तथा लक्ष्य में प्रगति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास शहरी की जिओ टैगिंग बढ़ाया जाए तथा 75 प्रतिशत लक्ष्य जल्द से जल्द प्राप्त करें। इस दौरान कलेक्टर ने सोलर पैनल स्कीम की जानकारी विद्युत विभाग के अधिकारियों से प्राप्त की। बैठक में कलेक्टर ने ग्राम पंचायत दैखल में निमार्णाधीन मत्स्य पालन केज के कार्यों की जानकारी प्राप्त की तथा समय पर गुणवत्तायुक्त बेहतर स्ट्रक्चर में केज तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में कलेक्टर आशीष वशिष्ट ने पुष्पराजगढ़ विकासखंड में संचालित आकाशी ब्लॉक परियोजना के छह पैरामीटर के आगामी दो माह में कार्यो की पूर्णता के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत सभी कार्यों की पूर्णता करने तथा इस अभियान को वर्ष भर संचालित करने के संबंध में राज्य शासन के निर्देशों का पालन करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों तथा जनजाति कार्य विभाग अंतर्गत विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों, हॉस्टल तथा अन्य शासकीय कार्यालय जिनमे बाउंड्रीवॉल उपलब्ध है उनमें बड़े पैमाने पर पौधारोपण करने के संबंध में कार्य योजना बनाकर तत्काल उसका क्रियान्वयन करने के संबंध में निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को कहा की उद्यान विभाग की नर्सरी मे विभागीय तथा मनरेगा के अंतर्गत पौधे की पर्याप्त उपलब्धता है सभी विभाग शासकीय नर्सरी से ही पौधे क्रय करना सुनिश्चित करें।

खबर संक्षेप

जिले में 19.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज

अनूपपुर। अधीक्षक भू-अभिलेख अनूपपुर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिले में बीते 24 घंटे में 19.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान वषार्मापी केन्द्र अनूपपुर में 8.4, कोतमा में 12, बिजुरी में 11, जैतहरी में 14.2, वेंकटनगर में 18, पुष्पराजगढ़ में 18.6, अमरकंटक में 22 तथा बेनीबारी में 51.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

आज से होगी सहायक जेल अधीक्षक एवं जेल प्रहरी भर्ती की परीक्षा

अनूपपुर। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा सहायक जेल अधीक्षक एवं जेल प्रहरी भर्ती हेतु लिखित परीक्षा 25 मई 2023 से 20 जून 2023 तक आयोजित की गई थी। इसका परीक्षा परिणाम 14 मार्च 2024 को घोषित किया जा चुका है। सहायक जेल अधीक्षक एवं जेल प्रहरी के पदों के सफल अभ्यर्थियों के शारीरिक नापजोख एवं प्रवीणता टेस्ट द्वितीय चरण की परीक्षा जेल विभाग द्वारा स्वयं लिया जाएगा। प्रथम चरण में चयनित उम्मीदवारों का शारीरिक नापजोख एवं प्रवीणता टेस्ट मोतीलाल नेहरू पुलिस स्टेडियम भोपाल में 2 जुलाई 2024 से 7 जुलाई 2024 तक प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से आयोजित किया जाएगा। सफल अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध प्रपत्रों को निकालकर नियत तिथि पर आवश्यक दस्तावेजों एवं जानकारी सहित शारीरिक नापजोख एवं प्रवीणता टेस्ट के लिए उपस्थित हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि सहायक जेल अधीक्षक के 33 पद एवं जेल प्रहरी के 200 पदों के लिए मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा क्रमशः 414 एवं 2264 अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण हेतु पात्र पाया गया है, जिनका द्वितीय चरण में शारीरिक नापजोख एवं प्रवीणता टेस्ट लिया जाना है। शारीरिक नापजोख एवं प्रवीणता टेस्ट में योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थियों में से मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल अंतिम चयन सूची जारी करेगा, जिन्हें जेल विभाग द्वारा प्रहरी के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

पुष्पराजगढ़ में आज पौधारोपण कार्य का कलेक्टर करेंगे शुभारंभ

अनूपपुर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश पर प्रदेश भर में वर्षा ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए पौधारोपण का कार्य प्रारंभ किया गया है जिसके परिपेक्ष्य में अनूपपुर जिले में कलेक्टर आशीष वशिष्ठ व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तन्मय वशिष्ठ शर्मा के मार्गदर्शन में वाटरशेड परियोजना द्वारा चार प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं जिसके तहत 12 हजार पौधों का रोपण किया जाएगा यह पौधारोपण मियां बांकी तकनीक से किया जाएगा। उल्लेखनीय की मियां बांकी तकनीक के माध्यम से किए जाने वाले पौधारोपण में मिश्रित पौधारोपण किया जाता है चार लेयर में पौधों के रोपण में छांवदार, फलदार तथा मझौले और छोटे पौधे शामिल रहते हैं। बताया गया कि पुष्पराजगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत कोहका पूर्व में 2 जुलाई से मियां बाकी पद्धति से पौधारोपण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा कलेक्टर आशीष वशिष्ठ तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तन्मय वशिष्ट शर्मा पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कलेक्टर ने जिले वासियों से बेहतर पर्यावरण के लिए पौधारोपण करने की अपील की है उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत अनिवार्य रूप से प्रत्येक नागरिक पौध रोपित करें तथा उस पौधे के संरक्षण का भी जिम्मा उठाएं ताकि पौधारोपण की सफलता सुनिश्चित हो सके।

कलेक्ट्रेट में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का हुआ सामूहिक गायन

अनूपपुर। जुलाई माह के प्रथम दिन जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में राष्ट्र गीत वन्दे मातरम और राष्ट्रगान जन-गण-मन का सामूहिक गायन संयुक्त कलेक्टर दिलीप पाण्डेय के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित रहे।